प्रेषक,

संख्या– /XXVII(7)02/2010

डा० एम०सी० जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे०आ०–सा०नि०) अनुभाग–7

देहरादून: दिनांक 04 मई, 2016

विषय: राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों को अनुमन्य मंहगाई भत्तें की दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1/3/2015–ई.II(बी) दिनांक 07 अप्रैल, 2016 एवं संख्या–1(3)/2008–ई.II(बी) दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के कम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–210/XXVII(7)02/2010 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 में उल्लिखित मंहगाई भत्ते की दरों को पुनरीक्षित करते हुए कमशः पुनरीक्षित वेतनमानों में कार्यरत उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से मंहगाई भत्ता 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित वेतनमानों में कार्यरत कार्मिकों को 234 प्रतिशत के स्थान पर 245 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– शासनादेश संख्या–1–1599/ दस–42 (एम)/97, 23, नवम्बर, 1988 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

4– उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 अप्रैल, 2016 तक (सेवानिवृत्त एवं 6 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 मई, 2016 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जायेगी।

5– उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(डा० एम०सी० जोशी)
सचिव।

......2..

संख्या– 100 /XXVII(7)02/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपक्रम/निकाय के कार्मिकों को उक्तानुसार बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
10. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
15. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
16. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।